

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1572

दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन

†1572. श्री रेबती त्रीपुरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का निकट भविष्य में जम्मू और कश्मीर के संबंध में कुछ संवैधानिक परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) ऐसे प्रस्तावित संशोधनों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): राज्य सरकार के साथ परामर्श/उनकी सहमति के आधार पर, जहां अपेक्षित हो, भारत के संविधान के प्रावधान समय-समय पर जम्मू और कश्मीर में लागू किए जाते हैं।
